1

दिनांक–26.11.15 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के विभिन्न बैंक खातों में संधारित राशि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

पूर्व के बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं समीक्षा में पाया गया कि बुडा के विभिन्न बैंक खातों में संचित कुल राशि का केन्द्रांश, राज्यांश एवं ब्याज की राशि के समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिया गया:–

1. राज्यांश की वैसी राशि जिसका उपयोग की संभावना है, उसे बुडा के पी0एल0 खाता में रखा जाय तथा राज्यांश की वैसी राशि जिसका उपयोग संभावित नहीं है, उसे कोषागार में जमा कराया जाय। राज्यांश की राशि का विवरण सम्बन्धित प्रशाखा को समीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाय।
2. बुडा के विभिन्न बैंक खातों में सूद से प्राप्त राशि के संबंध में वित्त विभाग से निर्गत पत्र के आलोक में कार्रवाई किया जाय।
3. बुडा के बैंक खातों की संख्या काफी अधिक है, इसे कम करने का निदेश दिया गया।
4. **Reconciliation** :- समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बुडा के सभी खातों का 31.03.15 के तिथि में Reconciliation किया जा चुका है, जिसे CA, P. Punit द्वारा सत्यापित भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक–30.09.15 तक Reconciliation का कार्य CA, P. Punit द्वारा किया जा रहा है। अब तक कुल–89 बैंक खातों के विरूद्ध 68 बैंक खातों का Reconciliation हो चुका है।

   प्रधान सचिव द्वारा CA, P. Punit को दो सप्ताह में Reconciliation का कार्य पूर्ण करके सत्यापन प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। साथ ही CA, P. Punit इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं है और यदि अनियमितता है तो इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/ले0–45/15 4868 दिनांक– 2/12/15

प्रतिलिपिः–उप निदेशक,बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04,बुडा/लेखापाल,बुडा/Charted Accountant, P. Punit, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12
प्रधान सचिव।